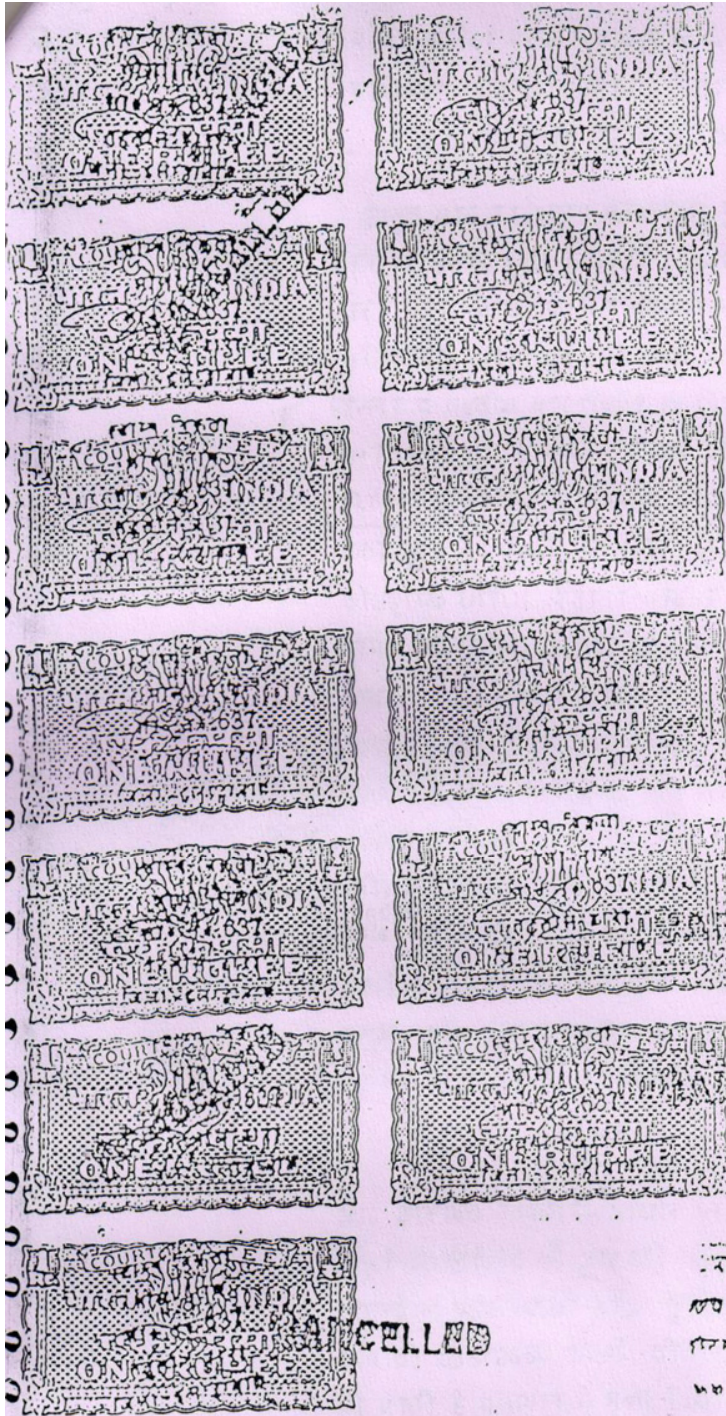




ATTESTED

My 2-10-2010

P. S. PANDE
Adv. & Notary

81, Nyaya Vihar
Chaurpur Road Lucknow
Regd. No. 100/2009

CANCELLED

CANCELLED

(45)

28-5-10
28-5-10
28-5-10
28-5-10
13/13/20
20/10/10
20/10/10

[Signature]

नवापालय उपविभागीय अधिकारी द्वारा इलाहाबाद
 जिला 45 नं. 536/265 द्वारा 1-13 कोटा का
 मोजा-कसीटा परगना व तहसील द्वारा जिला इलाहाबाद
 रामेश्वरम फाउन्डेशन बनाम ग्राम पंचायत

निर्णय दिनांक 9-7-9-10

प्रस्तुत वाद रामेश्वरम फाउन्डेशन मुख्य न्यायी डॉ. सुनील कुमार शुक्ल पुत्र
 रामेश्वर प्रसाद शुक्ल निवासी 536/265 के महेजंज रीतापुर रोड लखनऊ
 द्वारा ग्राम पंचायत कसीटा परगना व तहसील द्वारा जिला इलाहाबाद को
 प्रतिवादी बनाते हुए इस वक के साथ दावरी दिया है कि मोजा-कसीटा
 परगना व तहसील द्वारा जिला इलाहाबाद की जारजी नं. 133 का गठन
 0-754 हे० का संग्रहीत भूमि पर कायम व स्थित कायलकार है जका भूमि में
 श्रेणीगत आवारणीय नवापालय बनवाने हेतु भूमि का निर्माण दिया जाता है
 जका भूमि में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। आपदा की रूप में है
 को अधिक धोखा देवाना चाहता है जका में भूमि दिया है कि उपरोक्त
 भूमि को अधिक धोखा करते हुए लगान से मुक्ति दिया जाता है जका के
 समन्ध में तहसीलदार द्वारा से आठवा प्राप्त की गयी दिनांक 16-9-10

ATTESTED

3-10-2010

DEY

OTARY

Colon India

U. S. India

006

लेखक ने आठवा दिनांक 10-9-10 को राज्य निरीक्षक की संस्तुति मिले
 3-10-2010 दिनांक तहसीलदार द्वारा नं. 21-9-10 को जका संस्तुति की है।
 उपरोक्त वाद में रामेश्वरम फाउन्डेशन को मोजा-कसीटा की गयी को
 उपविभागीय न्यायाधीश द्वारा जिला इलाहाबाद को जका जमा नहीं जाती।
 जका वादी के विधान आधिका की वक को सुना, फाउन्डेशन का
 अवलोकन दिया। उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन, बागवानी,
 बुध्द पालन, महत्त्व पालन का कार्य नहीं होता है जका उपरोक्त भूमि को
 अधिक धोखा दिये जाने में कोई विवाद जका नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

जका उपरोक्त निवेदन के आधार पर मोजा- कसीटा परगना तहसील द्वारा
 जिला इलाहाबाद की जारजी नं. 133 का गठन रकबा 0-754 हे० रामेश्वरम
 फाउन्डेशन मुख्य न्यायी डॉ. सुनील कुमार शुक्ल पुत्र रामेश्वर प्रसाद शुक्ल
 निवासी 536/265 के महेजंज रीतापुर रोड लखनऊ के नाम अधिक धोखा
 की जाती है व लगान से मुक्ति दिया जाता है। परवाना जलाकर जका करी हो
 बाद आवश्यक कार्यवाही फाउन्डेशन अभिलेखागार में संघित हो।

दिनांक- 27/9/10

रामेश्वरम फाउन्डेशन
 उपविभागीय अधिकारी द्वारा
 इलाहाबाद

प्रतिलिपि

नवापालय / रोड
 नवापालय
 नवापालय